## Uttar Pradesh Shasan Sanskrit Shiksha Anubhag (Madhyamik Shiksha Anubhag-9)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no --720/xv-9-2023-25[35]/2004tc, dated june, 2023

> Notification No. 720/xv-9-2023-25[35]/2004tc Lucknow; Dated:30 june, 2023

In exercise of the powers under section 21 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000 (U.P.Act no. 32 of 2000) read of section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act no. 2 of 1904), the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education after obtaining the previous approval of the State Government, is pleased to make the following regulation with a view to amend the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (the constitution, power and duties of Committees and Sub committees) Regulations, 2012 are hereby published as required under sub-section (1) of section 22 of the said Act.

## The Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of Committees and Sub-Committees) (Second Amendment) Regulations, 2023

Short title and 1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Board of Secondary commencement Sankrit Education (Constitution, Powers and Duties of Committees and Sub-Committees) (Second Amedment) Regulations, 2023.

> (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of regulations 9.04

2. In the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of Committees and Sub-Committees) Regulations, 2012 (hereinafter referred to as the "said regulations") for clauses (a) and (b) of regulation 9.04 set out in column 1 below, the clauses as set out in column 2 shall be substituted, namely -

### COLUMN 1

**Existing Clause** 

### COLUMN 2

Clause hereby substituted

9.04: (a) An application for granting 9.04: (a) An application for recognition of recognition to an Institution shall of an institution shall be made on the be made in prescribed form fuly prescribed form, which shall be duly filled in and signed by the manager filled and signed by the manager of of the concerned institution and the institution concerned and shall be must reach in the office of the submitted before the year in which District Inspector of Schools in two the opening of classes is prescribed. copies from 1st April to 15th July of Must reach in 02 copies to the office the year preceding that in which it of the District Inspector of School from 5,000.00 from 16<sup>th</sup> July to 31<sup>st</sup> July. (Rupees not be entertained.

- (b) Application Form for recognition shall not be accepted by the Secretary, Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education,
- (i) First time Prathama, Purva 10000.00
- (ii) for extra subject recognition in Madhyama examination 2500.00
- applications received incomplete in any way. any form.

was prescribed to open the classes. 01 April to July 15. The application Application from may be form can be obtained from July 16 to received with a late fees of Rs. July 31 with a late fee of Rs.5000.00 five thousand Forms received after 31st July shall Applications received after July 31 will not be accepted.

> Recognition of each diploma course Paurohityam (karmkand), Vyavharik Vastushastra, Vyavharik Jyotish and Yoga Vigyanam) will be given separately. Application for grant of recognition shall be made on the prescribed form, which shall be duly filled, which shall be signed by the manager of the institution concerned. The duration of Diploma course will be 01 year, which will be organized in 02 separate semesters. Each Diploma course will be run on self-financing basis as far as possible.

- (b) The applications for recognition Secretary of the Board till it has the will not be accepted by the Secretary crossed Bank Draft in favour of the of the Board unless the following documents are enclosed as proof of filing the application along with the Lucknow as proof of filing the crossed bank draft fee in favor of the application along with fee as follows Secretary, U.P. Madhyamik Sanskrit Shiksha Parishad, Lucknow-
- (i) First time Prathama, Purva Madhyama or Uttar Madhyama - Rs Madhyama or Uttar Madhyama - Rs 10000.00 and Rs.5000.00 for each Diploma course.
- (ii) Rs 2500.00 for the recognition of Prathma, Purva Madhyama or Uttar an additional subject in Prathama, Rs. Purva Madhyama or Uttar Madhyama.
- (c) No action will be taken on (c) No action shall be taken on applications received incomplete in

Amendment of 3. In the said regulations for regulation 10.08 set out in column-1 below, the regulations regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely -10.08

#### COLUMN-1

Purva Madhyama and shall Madhyama be seperatly.

#### COLUMN-2

10.08: Recognition to Prathama, 10.08: Recognition to Prathama, Purva Uttar Madhyama, Uttar Madhyama and granted Diploma Courses shall be granted seperatly.

Amendment of 4. In the said regulations for regulation 10.09 set out in column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely regulations 10.09

#### COLUMN-1

following examination: -

- (a) Prathama
- (b) Purva Madhyama
- (c) Uttar Madhyama

#### COLUMN-2

10.09: The Board shall conduct the 10.09: The Board shall be conduct the following examination: -

- (a) Omitted
- (b) Purva Madhyama
- (c) Uttar Madhyama
- (d) Diploma Courses: -
  - (i) Paurohityam (Karmkand)
  - (ii) Vyavharik Vastushastra
  - (iii) Vyavharik Jyotish
  - (iv) Yoga Vigyanam

Amendment of5. In the said regulations for regulation 10.10 set out in column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely regulations 10.10

#### COLUMN-1

10.10 - The examinations of the Board shall be held on dates, time and places decided by the Board.

#### COLUMN-2

- 10.10- Examinations of Purva Madhyama, Uttar Madhyama and Diploma courses of the Board will be conducted on the dates, time and places as decided by the Board.
- (a) Recognition of Diploma courses will be given only to those institutions which are recognized by the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education and fulfill the criteria of recognition contained in Regulation 2012.
- (b) The Diploma courses will be conducted entirely on self-financing basis. Institutions seeking recognition should have qualified teachers as decided by the Uttar Pradesh Board of

-4

Secondary Sanskrit Education.

- (c) Diploma courses like Purohityam (Karmkand), Vyavharik Vastushastra, Vyavharik Jyotish and Yoga Vigyanam will be recognized separately.
- (d) The Diploma course implemented on self-financing basis will be of one year duration divided into two semesters. The first semester will start in the month of July, the second semester will start in the month of January.
- (e) Classes for Diploma courses will be conducted as per regular schedule of the school.
- (f) The teaching duration of each semester shall be six months including examination.
- (g) Internship. The content of the Diploma courses is divided into two semesters. In the last month of each semester, there will be a two-week internship program in which practical chapters of the subject matter of that semester will be learned. Internship will be arranged by the respective schools in an experienced institute.

The work to be done in internship will be as follows –

- (a) Observation of work done by experienced teachers.
- (b) Documentation of work learned in the internship.
- (c) Practical experience under the direct supervision of experienced teachers.

The work done by the students in the internship will be assessed by the school, which will be part of the result of the examination.

Amendment of 6. In the said regulations after Clause 5 of regulation 10.15, the following in regulations clause shall be inserted, namely – 10.15

10.15 (1)-

(1) Academic session of Sanskrit Secondary Schools under the control of the Uttar Pradesh Board of secondary sanskrit education will start from 1st April of the year and ends with 31st march of the year. The examination of a recongnized institution desiring admission in the examination conducted by the board, shall submit the fees fixed for the examinatin to the Head of the Instituion latest by 30th April of the year and fill the apllication form on prescribed form explanning the subject or subjects which they are taking for the examination.

The Head of the institution shall have the authority to remove the name of the student from the institution who has not submitted the fees within the fixed period. A regular student after filling the application form from any institution shall not be permitted to change the institution, except when District Inspector of Schools has given permission after certifying the facts related to shifting of place of parents from the education to other place.

- (2) The head of the institution shall send the application form along with the crossed bank draft to the Secretary of the Board. In condition of sending the application form after 31st July, the head of institution shall pay the late fee at the rate fo Rs 20/-per application form.
- (3) The head of institution shall send the application form to the Secretory of the Board along with the late fee by 30th September.
- (4) The secretary of the Board shall

10.15 (1)-

(1) Academic session of Sanskrit Secondary Schools under the control of the Uttar Pradesh Board of secondary sanskrit education will start from 1st April of the year and ends with 31st march of the year. The recongnized examination of a institution desiring admission in the examination conducted by the board, shall submit the fees fixed fot the examinatin to the Head of the Instituion latest by 30th April of the year and fill the apllication form on prescribed form explanning the subject or subjects which they are taking for the examination.

The Head of the institution shall have the authority to remove the name of the student from the institution who has not submitted the fees within the fixed period. A regular student after filling the application form from any institution shall not be permitted to change the institution, except when District Inspector of Schools has given permission after certifying the facts related to shifting of parents from the place of education to other place.

- (2) The head of the institution shall send the application form along with the crossed bank draft to the Secretary of the Board. In condition of sending the application form after 31st July, the head of institution shall pay the late fee at the rate fo Rs 20/- per application form.
- (3) The head of institution shall send the application form to the Secretory of the Board along with the late fee by 30th September.
- (4) The secretary of the Board shall arrange the Application forms for the

arrange the Application forms for the use to the regular examinees. In condition of delay, the Secretary shall take action as per the requirement.

- (5) The head of the Institution shall send to the secretary of the Board the Application forms on the prescribed proforma and the following:-
- (a) The certificate that students in the institution are admitted in accordance with the regulations of the Board.
- (b) A certificate that the students completed the course from the institution.
- (c) That the students completed the exercised prescribed in he syllabus.
- (d) Those student who filled two times as regular examinees from any institution, shall not be allowed for admission in any institution.

use to the regular examinees. In condition of delay, the Secretary shall the action as per the requirement.

- (5) The head of the Institution shall send to the secretary of the Board the Application forms on the prescribed proforma and the following:-
- (a) The certificate that students in the institution are admitted in accordance with the regulations of the Board.
- (b) A certificate that the students completed the course from the institution
- (c) That the students completed the exercised prescribed in the syllabus.
- (d) Those student who filled two times as regular examinees from any institution, shall not be allowed for admission in any institution.
- (6) 1. Candidates who have passed Uttar Madhyama (Class 12th) or equivalent examination will be eligible for admission to diploma courses. Candidates who have passed higher examination than this will also be able to take admission.
- There will be no age limit for admission to these Diploma courses.
- Candidates studying or serving individually/institutionally in any Board/University will be eligible for admission to this Diploma course.
- Candidates from outside the state will not be admitted in these Diploma courses.
- Admission will be allowed in only one Diploma course at a time.
- A candidate taking admission in a diploma course recognized by the board will have to submit the examination form without late fees for first semester by 30 September and for second semester by 31 March.
- 7. The head of the institution will

forward the examination applications along with the examination fee draft to the Board. After 30th September or 31st March Rs.20/- late fee will also have to be paid at the rate of per application.

- 8. In case of non-payment of fees within the prescribed period, the head of the institution will have the right to strike off the name of such student from the institution. The student will not be allowed to change the institute after filling the application form in any institute.
- 9. Application form and examination fee for first semester examination will be sent by October 10 with late fee and application form and examination fee for second semester examination will be sent by April 30 with late fee. No application will be accepted after these dates.
- 10. The institution head will send the application form for the examination to the secretary of the board in the prescribed form along with the following certificates –
- Uttar Madhyama or equivalent certificate.
- Admission granted as per board rules.
- Candidate is eligible for diploma course.

Amendment of 7. In the said regulations after Clause 12 of regulation 10.16, the following in regulations clause shall be inserted, namely - 10.16

- 10.16 (13) 1. The institution will remain open on 120 working days in every semester, including the days of examinations and extra-curricular activities.
- No student of the Diploma course shall be permitted to appear in the examination conducted by the Board unless he/she has attended a total of 75% of the lectures delivered in each semester.
- Lectures for the purpose of counting lectures means teaching/functional periods planned in the time table of the institution.

Amendment of 8. In the said regulations, for regulation 10.26 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely – regulations 10.26

#### COLUMN-1

# Existing regulation 10.26 Prathamya, Board shall be equivalent to Junior equivalent to High School, Intermediate conducted by the Board of Secondary Prayagraj. Education, Uttar Pradesh, Prayagraj.

#### COLUMN-2

Regulation as hereby substituted Purva 10.26 (I) The examinations of Purva Madhyama and Uttar Madhyama Madhyama and Uttar Madhyama examinations conducted by the conducted by the Board will be High School and High School and Intermediate examinations conducted Examinations by UP Board of Secondary Education,

> (II) The equivalency of diploma courses will be equivalent to one year diploma courses of any board or institution in India will be equivalent.

Amendment of 9. In the said regulations, for regulation 10.31 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely regulations 10.31

#### COLUMN-1

## Existing regulation

Section 10 of UP Act No. 32 of 2000, on the recommendation of the Examination Committee and the concept of the Board's Executive Committee, the following fees will be charged from the examinees: -

- (1) Fee for Prathma examination.
- (2)Fee for Purva Madhyma Examination.
- (3)Fee for Uttar Madhyma Examination.
- (4) Fee for appearing in one or more additional subjects in the main examination.
- (5) Fee for scrutiny.
- (6) Fee for second copy of (6) Fee for second copy of marksheet. marksheet.
- (7) Late payment fee.
- (8) Fee for second copy of admit (9) Fee for change in name in card.

#### COLUMN-2

Regulation as hereby substituted 10.31 (a) Under the provisions of 10.31 (a) Under the provisions of Section 10 of UP Act No. 32 of 2000, on the recommendation of the Examination Committee and consensus of the Board's Executive Committee, the following fees will be charged from the examinees: -

- Omitted.
- (2)Fee for Purva Madhyma Examination.
- (3)Fee for Uttar Madhyma Examination.
- (4) Fee for appearing in one or more additional subjects in the main examination.
- (5) Fee for scrutiny.
- (7) Late payment fee.
- (8) Fee for second copy of admit card.
- the certificate.

- (9) Fee for change in name in (10) Fee for second copy of certificate. the certificate.
- (10) Fee for second copy certificate.
- (11) Fee for migration certificate.
- (12) Fee for second copy of result sheet for Head of the Institution.
- (13) Private Form forwarding fee.
- (14) Application Form for change in name.

- (11) Fee for migration certificate.
- of (12) Fee for second copy of result sheet for Head of the Institution.
  - (13) Private Form forwarding fee.
  - (14) Application Form for change in name.
  - (15) Examination fee for Diploma courses.

## Eligibility for Admission -

- 1. Candidates who have passed Uttar Madhyama (Class 12th) or equivalent examination will be eligible for admission. Candidates who have passed higher examination than this will also be able to take admission.
- 2. There will be no age limit for admission to these Diploma courses.
- 3. Candidates studying or serving in individually/institutionally Board/University will be eligible for admission to this Diploma course.
- 4. A candidate taking admission in a diploma course recognized by the to submit will have board examination fee along with the examination application form in the first semester by 30 September and in the second semester by 31st March.
- 5. The head of the institution will forward the examination application forms along with the examination fee in the form of bank draft to the Board. After 30th September or 31st March Rs.20/- late fee will also have to be paid at the rate of per application.
- 6. In case of non-payment of fees within the prescribed period, the head of the institution will have the right to strike off the name of such student from the institution. The student will not be allowed to change the institute

after filling the application form in any institute.

- 7. Application form and examination fee for first semester examination will be sent by October 10th with late fee and application form and examination fee for second semester examination will be sent by April 30th with late fee. No application will be accepted after these dates.
- The institution head will send the application form for the examination to the secretary of the Board in the prescribed form along with the following certificates-
- A. certificate that the admission of students in the institution has been done as per the rules of the Board.
- B. Certificate to the effect that the concerned student is eligible for Diploma course.

#### Attendance -

- The rule of minimum attendance will be strictly followed. The head of the organization can condone for the shortfall in attendance in the following ways-
- (a) Five days for the candidates appearing for each semester's examination.
- (b) Absence of 10 days can be granted with the permission of the Sanskrit Education Board.

#### Leave -

Every learner can be given leave in special circumstances for a period of one year as follows-

- Casual leave of 05 days in every semester.
- Medical leave of 20 days in both the sessions.

The application for leave will be sent

to the principal through the class teacher. The record of leave will be kept by the Principal.

#### Re-admission -

- If the student remains absent continuously for 10 days without any leave, his/her guardian will be informed by letter. If he does not come to school by the date given in the letter, his name will be struck off.
- Normally there shall be no provision for re-admission.
- 3. If the attendance is less than 75%, he/she will not be admitted to the subsequent semester examination but will be given the opportunity of readmission in the first semester of the next batch. In case of re-admission, the fee for that semester has to be paid.

#### Examination -

- (a) There will be two examinations for one year Diploma course. The first semester of the academic session will start from July, its examinations will be held in December. The second semester will start from January and exams will be held in June.
- (b) Uttar Pradesh Madhyamik Sanskrit Shiksha Parishad, Lucknow will be responsible for conducting the examination.
- (c) There will be four question papers of 100 marks in each semester. There will be internal assessment through internship of 100 marks in each semester. Division will be given like other board exams. In case of failure in any one subject, grace mark of 10 marks separately in both the semesters will also be payable.

(d) The admit card for appearing in the examination will be issued by the Board, which will be verified by the school concerned and will be issued to the student for any reason. If a second admit card is sought, a fee of Rs.50/- will be charged. Will be payable.

(e) If found using unfair means at the time of examination, he/she will be expelled from the examination and will not be re-examined for one year. The chances of appearing in the second semester examination in whole or in part shall not exceed three.

Payment of Rs. 500/- will be made through bank draft in favor of Secretary, Uttar Pradesh Madhyamik Sanskrit Shiksna Parishad, Lucknow, through affidavit and copy of advertisement in the most circulated newspaper of the state.

## Scrutiny-

- Like other examinations of the Sanskrit Education Board, there will be a system of scrutiny in this too.
- Fee has to be paid at the rate of Rsper question paper.
- 3. A student who fails in one paper will be allowed admission in the second session. Along with the examination of the second semester, the examination of the failed subject of the first semester will have to be given. A student who fails in one subject in the second semester will be given a chance to appear in the examination of the next semester. Thus, the chance will be more than three.

Course fee -

Fee for Diploma course will be

Rs.5000/- per semester, out of which Rs.600/- per student per semester will have to be remit to the Uttar Pradesh Madhyamik Sanskrit Shiksha Parishad, Lucknow as examination fee in the form of bank draft alongwith examination form. Remaining amount can be utilized by school for teaching and teacher provision.

Teacher for the course -

- Arrangement of teacher for the concerned course will be done by the manager at the local level. Which will be approved by the concerned District Inspector of School.
- A teacher of that qualification will be eligible for teaching, who has the qualification of teaching Uttar Madhyama.
- Arrangement of teachers will be done by the management authority under completely self-financing scheme. Recognition of the above courses will be given as completely finance-free.

The recognition of the above courses will be given as completely finance-free. For this, no expenditure will be borne from the department/government level.

By Order,

( Deepak Kumar) Additional chief Secretary

# उत्तर प्रदेश शासन संस्कृत शिक्षाअनुभाग (माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-9) अधिसचना

संख्या-720 /पन्द्रह-9-2023-25(35)/2004 टी०सी० लखनऊ: दिनांक: अजून, 2023

उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000) की धारा 21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (सिमितियों और उप सिमितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्दवारा प्रकाशित किया जाता है :-

> उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (सिमितियों और उप-सिमितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप-समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2023 कही जायेगी ।

विनियम 9.04 का संशोधन

(2) यह गज़ट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 2. उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप-समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2012 (जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम 9.04 के खंड (क) और (ख) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खंड रख दिये जायेंगे , अर्थात :-

> स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम

एतद्ववारा प्रतिस्थापित विनियम 9.04: (क) किसी संस्था को मान्यता 9.04: (क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र विहित करने के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर प्रपत्र पर दिया जायेगा, जो सम्यक रूप से दिया जायेगा, जो सम्यक रूप से भरा भरा जायेगा और उसे संबंधित संस्था के जायेगा और उसे संबंधित संस्था के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और और वह उस वर्ष के जिसमे कक्षाओं को वह उस वर्ष के जिसमें कक्षाओं को खोलना खोलना विहित हो के पूर्ववर्ती वर्ष के 1 विहित हो के पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल से 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक जिला विद्यालय जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक के निरीक्षक के कार्यालय में दो प्रतियों में कार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुंच अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र जाना चाहिए। आवेदन पत्र 16 जुलाई से 31 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रू० जुलाई तक रू० 5000.00 (पाँच हजार 5000.00 (पाँच हजार रूपये) विलम्ब रूपये) विलम्ब शुल्क के साथ प्राप्त किया

31 जुलाई के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नहीं किए जाएंगे।

शुल्क के साथ प्राप्त किया जा सकता है। जा सकता है। 31 जुलाई के बाद प्राप्त

के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है -

- (i) पहली बार प्रथमा, पूर्व मध्यमा या. उत्तर मध्यमा - रुपये 10000.00
- (ii) प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा परीक्षा में अतिरिक्त विषय मान्यता के लिए - रुपये 2500.00
- (ग) किसी भी रूप में अपूर्ण प्राप्त जायेगी।

- प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम पौरोहित्यम (कर्मकाण्ड), व्यावहारिक वास्त्रशास्त्र, व्यावहारिक ज्योतिष एवं योग विज्ञानम् की मान्यता अलग-अलग दी जायेगी। मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन विहित प्रपत्र पर किया जाएगा. जो सम्यक रूप से भरा जाएगा तथा जिस पर संबंधित संस्था के प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे। डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि 01 वर्ष की होगी, जो 02 अलग-अलग सेमेस्टर में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम यथासंभव स्ववित्त पोषित आधार पर चलाया जाएगा।
- (ख) मान्यता के लिए आवेदन पत्र बोर्ड के (ख) परिषद के सचिव द्वारा मान्यता के लिए सचिव द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जाएगा जब तक कि यह सचिव, उत्तर जब तक कि सचिव,उत्तर प्रदेश माध्यमिक प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ के पक्ष में लखनऊ के पक्ष में बैंक डाफ्ट के रूप में रेखांकित बैंक डाफ्ट शुल्क के साथ आवेदन करने के प्रमाण के रूप में शुल्क आवेदन दाखिल करने के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ न संलग्न हो :-
  - (एक) पहली बार प्रथमा,पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा के लिए रुपये 10000.00 एवं प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए रुपये 5000.00 I
  - (दो) प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा में एक अतिरिक्त विषय की मान्यता के लिए रुपये २५००.०० ।
- आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की (ग) किसी भी प्रकार से अपूर्ण प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

विनियम 10.08 का संशोधन

3. उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम 10.08 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2 एतद्ववारा प्रतिस्थापित विनियम विद्यमान विनियम 10.08: प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर 10.08: प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा मध्यमा को अलग-अलग मान्यता दी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मान्यता जाएगी। अलग-अलग दी जाएगी।

विनियम 10.09 का संशोधन

4. उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम 10.09 के स्थान पर स्तम्भ-२ में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम 10.09: परिषद निम्नलिखित परीक्षा 10.09: परिषद निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित करेगा: -

- (क) प्रथमा
- (ख) पूर्व मध्यमा
- (ग) उत्तर मध्यमा

स्तम्भ-2

एतद्दवारा प्रतिस्थापित विनियम आयोजित करेगी : -

- (क) निकाल दिया गया
- (ख) पूर्व मध्यमा
- (ग) उत्तर मध्यमा
- (घ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम:-(एक) पौरोहित्यम (कर्मकांड) (दो) व्यावहारिक वास्तुशास्त्र (तीन) व्यावहारिक ज्योतिष

(चार) योग विज्ञानं

विनियम 10.10 का संशोधन

5. उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम 10.10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात -

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम 10.10 -परिषद की परीक्षाएं परिषद द्वारा आयोजित की जायेंगी ।

स्तम्भ-2

एतद्दवारा प्रतिस्थापित विनियम 10.10- परिषद की पूर्व मध्यमा, उत्तर निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर मध्यमा और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं परिषद द्वारा विनिश्चित तिथियों, समयों और स्थानों पर आयोजित की जाएंगी।

- (क) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मान्यता केवल उन संस्थानों को दी जाएगी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और विनियमावली 2012 में अंतर्विष्ट मान्यता के मानदंडों को पूरा करती हैं।
- (ख) डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरी तरह से स्व-वित्तपोषण के आधार पर संचालित किए जाएंगे। मान्यता चाहने वाले संस्थानों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा यथाविनिश्चित अर्ह अध्यापक होने चाहिए।
- (ग) डिप्लोमा पाठ्यक्रम यथा पौरोहित्यम व्यवहारिक (कर्मकाण्ड), वास्त्रशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष एवं योग विज्ञानं की अलग-अलग मान्यता दी जायेगी।
- (घ) स्व-वित्तपोषित आधार पर क्रियान्वित

डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि का होगा जो दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई माह में एवं द्वितीय सेमेस्टर जनवरी माह में प्रारंभ होगा।

(ङ) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं विद्यालय के नियमित अनुसूची के अनुसार संचालित की जाएंगी।

(च) प्रत्येक सेमेस्टर की शिक्षण अवधिपरीक्षा सहित छह माह की होगी।

(छ) इंटर्नशिप

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु दो सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेमेस्टर के अंतिम माह में दो सप्ताह का इंटर्निशप कार्यक्रम होगा जिसमें उस सेमेस्टर की विषयवस्तु के प्रैक्टिकल चैप्टर सीखे जाएंगे। किसी अनुभवी संस्थान में संबंधित विद्यालयों द्वारा इंटर्निशिप की व्यवस्था की जाएगी।

इंटर्निशिप में किये जाने वाले कार्य निम्न प्रकार होंगे –

- (क) अनुभवीअध्यापकों द्वारा किए गए कार्यों का संप्रेक्षण।
- (ख) इंटर्निशिप में सीखे गये कार्यों का दस्तावेजीकरण।
- (ग) अनुभवी अध्यापकों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में व्यवहारिक अनुभव।

इंटर्नशिप में छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन विद्यालय द्वारा किया जाएगा, जो परीक्षा परिणाम का अंग होगा।

विनियम 10.10 का संशोधन 6. उक्त विनियमावली में विनियम 10.15 के खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् -

## स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम

10.15 (1)-

(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी संस्था के प्रधान को विलंबतम उस वर्ष के 30 अप्रैल तक परीक्षा के लिए नियत

# स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

10.15 (1)-

(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र किसी वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी संस्था के प्रधान को विलंबतम उस वर्ष के 30 अप्रैल तक परीक्षा के लिए

शुल्क प्रस्तुत करेंगे तथा जिस विषय अथवा विषयों को वे परीक्षा के लिये ले रहे हैं, स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र भरेंगे।

नियत अवधि के भीतर शुल्क न प्रस्तुत करने पर संस्था के प्रधान को ऐसे छात्र का नाम संस्था से हटाने का प्राधिकार होगा।

संस्थागत छात्र को किसी संस्था से आवेदन पत्र भरने के पश्चात संस्था में परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, केवल उस दशा को छोड़कर जबिक जिला विद्यालय निरीक्षक ने माता-पिता के उस स्थान से जहा वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी दूसरे स्थान को किए गये स्थानांतरण से संबंधित तथ्यों को प्रमाणित करने के पश्चात अनुज्ञा न दे दी हो।

- (2) संस्था का प्रधान आवेदन पत्र को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के साथ बोर्ड के सचिव को प्रेषित करेगा। 31 जुलाई के पश्चात् आवेदन पत्र प्रेषित करने की दशा में संस्था का प्रधान रू० 20/- प्रति आवेदन पत्र की दर से विलम्ब शुल्क का भगतान करेगा।
- (3) संस्था प्रधान 30 सितम्बर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र बोर्ड के सचिव को भिजवायेंगे।
- (4) परिषद का सचिव आवेदन पत्रों को संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रयोगार्थ व्यवस्थित करेगा। विलम्ब की स्थिति में सचिव आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा।
- (5) संस्था का प्रधान विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र और निम्नलिखित को परिषद के सचिव को भेजेगा -
- (क) यह प्रमाण पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद की विनियमावली के अनसार किया गया है।
- (ख) यह प्रमाण पत्र कि छात्रों ने संस्था से पाठ्यक्रम पुरा किया है ।
- (ग) यह कि छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम में विहित अभ्यास को पूरा किया है ।

(घ) वे छात्र जो संस्थागत परीक्षार्थी के

नियत शुल्क प्रस्तुत करेंगे तथा जिस विषय अथवा विषयों को वे परीक्षा के लिये ले रहे हैं, स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र भरेंगे।

नियत अवधि के भीतर शुल्क न प्रस्तुत करने पर संस्था के प्रधान को ऐसे छात्र का नाम संस्था से हटाने का प्राधिकार होगा।

संस्थागत छात्र को किसी संस्था से आवेदन पत्र भरने के पश्चात संस्था में परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, केवल उस दशा को छोड़कर जबिक जिला विद्यालय निरीक्षक ने माता-पिता के उस स्थान से जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी दूसरे स्थान को किए गये स्थानांतरण से संबंधित तथ्यों को प्रमाणित करने के पश्चात अनुज्ञा न दे दी हो।

- (2) संस्था का प्रधान आवेदन पत्र को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के साथ बोर्ड के सचिव को प्रेषित करेगा। 31 जुलाई के पश्चात् आवेदन पत्र प्रेषित करने की दशा में संस्था का प्रधान रू० 20/- प्रति आवेदन पत्र की दर से विलम्ब शुल्क का भगतान करेगा।
- (3) संस्था का प्रधान 30 सितम्बर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र परिषद के सचिव को प्रेषित करेगा।
- (4) परिषद का सचिव आवेदन पत्रों को संस्थागत परीक्षार्थियो के प्रयोगार्थ व्यवस्थित करेगा। विलम्ब की स्थिति में सचिव आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा।
- (5) संस्था का प्रधान विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र और निम्नलिखित को परिषद के सचिव को भेजेगा -
- (क) यह प्रमाण पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद की विनियमावली के अनुसार किया गया है।
- (ख) यह प्रमाण पत्र कि छात्रों ने संस्था से पाठ्यक्रम पुरा किया है।
- (ग) यह कि छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम में विहित अभ्यास को पूरा किया है।

रूप में किसी संस्था से दो बार अनुत्तरीण हो चुके हों, उन्हें किसी भी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- (घ) वे छात्र, जो संस्थागत परीक्षार्थी के रूप मे किसी संस्था से दो बार अनुर्तीण हो चुके हों, उन्हें किसी भी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (6) 1. उत्तर मध्यमा (कक्षा 12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इससे उच्च परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे।

 इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।

- किसी परिषद/विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से अध्ययनरत या सेवारत उम्मीदवार इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- एक बार में केवल एक ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमित होगी।
- 6. परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा फार्म प्रथम सेमेस्टर के लिए बिना विलम्ब शुल्क के 30 सितम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर के लिए 31 मार्च तक जमा करना होगा।

7. संस्था का प्रमुख, परीक्षा आवेदनों को

- परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट के साथ परिषद को अग्रेषित करेंगे। 30 सितम्बर अथवा 31 मार्च के पश्चात प्रति आवेदन रू० 20/- की दर से विलम्ब शुल्क भी देना होगा। 8. विहित अवधि में शुल्क जमा न करने की स्थिति में संस्था प्रधान को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे छात्र का नाम संस्था से काट सकता है। छात्र को किसी भी संस्था में आवेदन पत्र भरने के पश्चात् संस्थान बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 9. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क के साथ 10 अक्टूबर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं

परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क सहित 30 अप्रैल तक प्रेषित किया जायेगा। इन तिथियों के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 10. संस्था प्रधान परीक्षा हेत् आवेदन पत्र परिषद के सचिव को निर्धारित प्रपत्र में निम्न प्रमाण पत्रों के साथ प्रेषित करेगा-

1. उत्तर मध्यमा (कक्षा 12) या समकक्ष प्रमाण पत्र।

2. परिषद के नियमों के अनुसार प्रदान किया गया प्रवेश।

3 अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।

विनियम 10.16 का संशोधन

7. उक्त विनियमावली में विनियम 10.16 के खंड 12 के पश्चात निम्नलिखित खंड बढा दिया जाएगा. अर्थात -

10.16 - (13) 1. परीक्षा और पाठ्येतर गतिविधियों के दिनों सहित प्रत्येक सेमेस्टर में 120 कार्य दिवसों में संस्था खली रहेगी।

2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के किसी छात्र को परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की तब तक अनुमित नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने प्रत्येक सेमेस्टर में कुल 75% व्याख्यान में भाग नहीं लिया हो।

3. व्याख्यानों की गणना के प्रयोजन से व्याख्यानों का तात्पर्य संस्था की समय-सारणी

में नियोजित अध्यापन/कार्यात्मक अवधि से है ।

विनियम 10.26 का संशोधन  उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 10.26 के स्थान पर. स्तम्भ-२ में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात -

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम स्कुल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षाओं के समकक्ष होंगी। समकक्ष होंगी।

स्तम्भ-2 एतद्दवारा प्रतिस्थापित विनियम 10.26 परिषद द्वारा संचालित प्रथमा, पूर्व 10.26 (एक) परिषद द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा परीक्षाएं उत्तर मध्यमा और उत्तर मध्यमा परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित जुनियर हाई स्कूल, हाई द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट

> (दो) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की समकक्षता भारत में किसी परिषद या संस्था के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के समकक्ष होगी।

विनियम 10.31 का संशोधन

9. उक्त विनियमावली में. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 10.31 के स्थान पर. स्तम्भ-२ में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात -

## स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम

10.31 (क) उ०प्र० अधिनियम संख्या 32 सन् 2000 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन परीक्षा समिति की संस्तुति तथा परिषद की कार्यकारिणी समिति के अवधारण पर परीक्षार्थियों से निम्नलिखित शुल्क लिये जायेंगे:-

- (1) प्रथमा परीक्षा के लिए शुल्क।
- (2) पूर्व मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क।
- (3) उत्तर मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क।
- (4) मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक अतिरिक्त विषयों में सम्मिलित होने का लिये शुल्क।
- (5) संनिरीक्षा शुल्क।
- (6) अंकपत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।
- (7) विलंब से भुगतान शुल्क।
- (8) प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।
- (9) प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन का शुल्क।
- (10) प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।
- (11) प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क।
- (12) संस्था के प्रधान के लिए परीक्षाफल की द्वितीय प्रति शुल्क।
- (13) व्यक्तिगत आवेदन पत्र अग्रसारण शल्क।
- (14) नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र।

### स्तम्भ-२

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम 10.31 (क) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन परीक्षा समिति की संस्तुति एवं परिषद की कार्यकारिणी समिति की सहमति से परीक्षार्थियों से निम्नानुसार शुल्क लिया जायेगा:-

- (1) निकाल दिया गया।
- (2) पूर्व मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क।
- (3) उत्तर मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क।
- (4) मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक अतिरिक्त विषयों में सम्मिलित होने का लिये शल्क।
- (5) संनिरीक्षा शुल्क।
- (6) अंकपत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।
- (7) विलंब से भुगतान शुल्क।
- (8) प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।
- (9) प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन का शुल्क।(10) प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति का
- शुल्क।
- (11) प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क।
- (12) संस्था के प्रधान के लिए परीक्षाफल की द्वितीय प्रति का शुल्क।
- (13) व्यक्तिगत आवेदन पत्र अग्रसारण शुल्क।
- (14) नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र।
- (15) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क।

प्रवेश के लिए अर्हता -

- उत्तर मध्यमा (कक्षा 12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इससे उच्च परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकेंगे।
- इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- किसी परिषद/विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से अध्ययनरत या सेवारत अभ्यर्थी इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

4. परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क 30 सितम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर में 31 मार्च तक जमा करना होगा।

5. संस्था प्रधान, बैंक ड्राफ्ट के रूप में परीक्षा शुल्क सहित परीक्षा आवेदन पत्र परिषद को प्रेषित करेगा। 30 सितम्बर अथवा 31 मार्च के पश्चात प्रति आवेदन की द्र से रू० 20/- विलम्ब शुल्क भी देय

होगा।

6. विहित अवधि में शुल्क जमा न करने की स्थिति में संस्था प्रधान को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे छात्र का नाम संस्था से काट सकता है। छात्र को किसी संस्था में आवेदन पत्र प्रस्तुत के पश्चात संस्था बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। 7. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क के साथ 10 अक्टूबर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क सहित 30 अप्रैल तक प्रेषित किया जायेगा। इन तिथियों के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. संस्था प्रमुख परीक्षा हेतु आवेदन पत्र परिषद के सचिव को विहित प्रपत्र में निम्न प्रमाण पत्रों के साथ प्रेषित करेगा-

(क) प्रमाण पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद के नियमानुसार हुआ है। (ख) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित छात्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।

## उपस्थिति -

 न्यूनतम उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा। संस्था का प्रमुख उपस्थिति में कमी के लिए निम्नलिखित तरीकों से क्षमा कर सकता हैं-

(क) प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशियों के लिए पांच दिन।

(ख) संस्कृत शिक्षा परिषद की अनुमति से 10 दिनों की अनुपस्थिति दी जा सकती

अवकाश -

प्रत्येक शिक्षार्थी को विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नानुसार अवकाश दिया जा सकता है-

- प्रत्येक सेमेस्टर में 05 दिन का आकस्मिक अवकाश।
- दोनों सत्रों में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश।

अवकाश के लिए आवेदन प्रधानाचार्य को कक्षा अध्यापक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। अवकाश का रिकॉर्ड प्रधानाचार्य रखेगा।

पुनः प्रवेश -

- 1. यदि छात्र लगातार 10 दिनों तक बिना किसी अवकाश के अनुपस्थित रहता है तो उसके अभिभावक को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा। यदि वह पत्र में दी गई तिथि तक विद्यालय नहीं आता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
- सामान्यतः पुनः प्रवेश के लिए कोई उपबंध नहीं होगा।
- 3. यदि उपस्थिति 75% से कम है, तो उसे अनुवर्ती सेमेस्टर की परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, किन्तु अगले बैच के प्रथम सेमेस्टर में पुनः प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। पुनः प्रवेश के मामले में, उस सेमेस्टर के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

परीक्षा -

- (क) एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए दो परीक्षाएं होंगी। शैक्षणिक सत्र का पहला सेमेस्टर जुलाई से प्रारंभ होगा, इसकी परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से प्रारंभ होगा और जून में परीक्षा होगी।
- (ख) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ग) प्रत्येक सेमेस्टर में 100 अंकों के चार प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में 100

अंकों के इंटर्निशिप के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन होगा। अन्य परिषद की परीक्षाओं की तरह डिवीजन दिए जाएंगे। किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर दोनों सेमेस्टर में अलग-अलग 10 अंक का ग्रेस मार्क भी देय होगा।

(घ) परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र परिषद द्वारा जारी किया जाएगा, जिसे संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा और यदि किसी कारण से छात्र द्वारा दूसरा प्रवेश पत्र मांगा जाता है, तो रु.50/- का शुल्क लेकर दूसरा प्रवेश पत्र

जारी किया जाएगा।

(ङ) यदि परीक्षा के समय छात्र अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और एक वर्ष तक पुन:परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा। द्वितीय सत्र की सम्पूर्ण या आंशिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये तीन से अनिधक अवसर प्रदान किये जाएंगे।

रुपया 500/- का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ के पक्ष में शपथ पत्र एवं राज्य के सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्र में विज्ञापन की प्रति के माध्यम से किया जायेगा।

संनिरीक्षा-

1. संस्कृत शिक्षा परिषद की अन्य परीक्षाओं की तरह इसमें भी संनिरीक्षा की व्यवस्था होगी।

2. रुपये 50/- प्रति प्रश्न पत्र की दर से

शुल्क का भुगतान करना होगा।

3. एक प्रश्न पत्र में अनुतीर्ण होने वाले छात्र को द्वितीय सत्र में प्रवेश दिया जाएगा। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही प्रथम सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षा देनी होगी। द्वितीय सेमेस्टर में एक विषय में अनुतीर्ण होने वाले छात्र को अगले सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार अवसर तीन से अधिक होगा।

पाठ्यक्रम शुल्क -

डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क रु.5000/- प्रति सेमेस्टर होगा, जिसमें से रु.600/- प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर बैंक ड्राफ्ट, परीक्षा शुल्क के रूप में परीक्षा फार्म के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ को प्रेषित करना होगा। शेष राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा अध्यापन और अध्यापक उपबंध के लिये किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक -

 संबंधित पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक की व्यवस्था प्रबंधक द्वारा स्थानीय स्तर पर की जायेगी। जिसे संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

 उस अर्हता का अध्यापक अध्यापन के लिए पात्र होगा, जिसके पास उत्तर मध्यमा अध्यापन की अर्हता हो।

 पूर्णतः स्ववित्तपोषित योजना के अधीन अध्यापकों की व्यवस्था, प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों की मान्यता पूर्णतः वित्तविहीन रूप में दी जायेगी। इस हेतु विभाग/शासन स्तर पर कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

> आशास, (दीपक कुमार) अपर मुख्य सचिव